

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र प्रसाद

राजस्व वाद संख्या : 28/2018

निर्णय दिनांक : 10.02.2021

1. अब्दुल्ला उम्र 60 साल पुत्र श्री मोहम्मद खॉ जाति मेव निवासी ग्राम बास बुर्जा तह० सीकरी (भरतपुर)  
— वादी

बनाम

1. आसू उम्र 60 साल पुत्र दलैल
2. मम्मन उम्र 62 साल पुत्र इस्माईल
3. मुवीन उम्र 40 साल पुत्र मम्मन जातियान मेवान निवासी ग्राम बास बुर्जा तहसील सीकरी (भरतपुर)  
— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार गोयल अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई ..... मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-188 के अनुसार इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर 918/0.40 वाके ग्राम बासबुर्जा तहसील सीकरी में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न करें।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा०ट्रै०)  
नगर (भरतपुर)

डिक्री वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.02.2021. को जारी की गयी।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

सहायक कलेक्टर एवं  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा०ट्रै०)  
नगर (भरतपुर)

